संख्या- 35/2025/672/77-6-25-6/10/2023-1765292

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक** 31-03-**2025**

विषय- उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत 02 औद्योगिक इकाईयों को रू. 23,36,82,599.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इन्वेस्ट यूपी के पत्र संख्या-44-आईयूपी/पीआईयू/एकेएस/2024-25, दिनांक 29.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति 2021 मद में प्राविधानित धनराशि रू. 67.27 करोड़ (रूपये सड़सठ करोड़ सत्ताइस लाख मात्र) के सापेक्ष 02 औद्योगिक इकाईयों को वितरण हेतु स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि रू. 23,36,82,599.00 हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र औद्योगिक इकाइयो का विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	**कम्पनी का नाम**	**देय वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि (रूपये में)**	**अभ्युक्ति**
1	मेसर्स आइनॉक्स एपी प्रा0लि0	9,15,82,889.00	प्रथम किस्त
2	मेसर्स एयर लिक्विड प्रा0लि0	14,20,99,710.00	प्रथम किस्त
	योग	**23,36,82,599.00**	

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में अनुदान संख्या-7 लेखा-शीर्ष 2852- उद्योग, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 20- ' उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति 2021' -42 अन्य व्यय के अंतर्गत धनराशि रू. 67.27 करोड़ (रूपये सड़सठ करोड़ सत्ताइस लाख मात्र) के सापेक्ष रू. 23,36,82,599.00 (रू. तेईस करोड़ छत्तीस लाख बयासी हजार पांच सौ निन्यानवे मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा श्री राज्यपाल उक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि उक्त तालिका में अंकित 02 औद्योगिक इकाईयों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि अंतरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा रखा जाएगा।
4. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा,जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
6. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से संबंधित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा इन्वेस्ट यू0पी0 को उपलब्ध कराए जायेंगे।
8. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से समस्त संबंधितो को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
9. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इन्वेस्ट यू0पी0 आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।
10. इन्वेस्ट यू0पी0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत इकाइयों को प्रदान किया जाना प्रोत्साहन के लाभ में द्विरावृत्ति (Duplicacy) की स्थिति उत्पन्न न हो।
11. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए इन्वेस्ट यू0पी0 उत्तरदायी होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 23,36,82,599.00 (रूपये तेईस करोड़ छत्तीस लाख बयासी हजार पांच सौ निन्यानवे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852808002000 ' उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति 2021' मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-6-293-X-2024-25- दिनांक30-03-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

पीयूष वर्मा

विशेष सचिव।

<u>संख्या-35/2025/672(1)/77-6-25-6/10/2023-1765292 तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के पत्र पत्र संख्या-44-आईयूपी/पीआईयू/एकेएस/2024-25, दिनांक 29.03.2025 के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
11. नियोजन अनुभाग-1/4
12. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।